

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
मांग संख्या 27  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1980.86	43.84	2024.70	3451.09	55.25	3506.34	3495.90	43.35	3539.25	4002.69	40.03	4042.72
<i>वसूलियां</i>	-248.88	...	-248.88	-1000.00	...	-1000.00	-955.74	...	-955.74	-1111.30	...	-1111.30
<i>प्राप्तियां</i>	-254.70	...	-254.70	-256.00	...	-256.00	-256.00	...	-256.00	-256.00	...	-256.00
<b>निवल</b>	<b>1477.28</b>	<b>43.84</b>	<b>1521.12</b>	<b>2195.09</b>	<b>55.25</b>	<b>2250.34</b>	<b>2284.16</b>	<b>43.35</b>	<b>2327.51</b>	<b>2635.39</b>	<b>40.03</b>	<b>2675.42</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	57.31	5.41	62.72	73.48	...	73.48	79.71	...	79.71	83.59	...	83.59
2. <i>संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों</i>												
2.01 प्रादेशिक कार्यालय	22.68	5.39	28.07	30.00	7.00	37.00	30.00	7.00	37.00	31.12	5.88	37.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	3.61	...	3.61	5.00	...	5.00	5.39	...	5.39	5.60	...	5.60
2.03 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	5.97	...	5.97	7.00	...	7.00	7.80	...	7.80	7.80	...	7.80
2.04 भारतीय वन सर्वेक्षण	19.86	0.10	19.96	22.51	0.25	22.76	24.27	0.10	24.37	22.31	2.10	24.41
2.05 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	42.91	0.47	43.38	46.90	1.00	47.90	37.16	1.00	38.16	44.30	0.70	45.00
2.06 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	12.04	1.01	13.05	13.93	3.00	16.93	15.22	2.20	17.42	14.42	3.00	17.42
2.07 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	7.12	...	7.12	10.04	...	10.04	10.04	...	10.04	10.04	...	10.04
2.08 राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	1.86	...	1.86	4.00	...	4.00	3.80	...	3.80	4.00	...	4.00
2.09 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	45.52	17.83	63.35	56.49	14.00	70.49	61.24	12.05	73.29	60.24	6.21	66.45
2.10 भारतीय प्रागैतिहासिक सर्वेक्षण	43.51	10.09	53.60	41.40	18.00	59.40	49.90	10.00	59.90	49.81	9.09	58.90
2.11 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	12.88	2.40	15.28	14.88	7.00	21.88	13.23	7.00	20.23	12.47	10.40	22.87
2.12 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	21.78	...	21.78	35.00	...	35.00	45.00	...	45.00	40.58	1.00	41.58
<i>जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों</i>	<i>239.74</i>	<i>37.29</i>	<i>277.03</i>	<i>287.15</i>	<i>50.25</i>	<i>337.40</i>	<i>303.05</i>	<i>39.35</i>	<i>342.40</i>	<i>302.69</i>	<i>38.38</i>	<i>341.07</i>
3. <i>राष्ट्रीय प्राणी उद्यान</i>												
3.01 सकल बजटीय सहायता	16.83	1.14	17.97	19.00	5.00	24.00	19.40	4.00	23.40	19.25	1.65	20.90
3.02 अल्प गेट प्राप्तियां	-11.72	...	-11.72	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-6.00
<i>निवल</i>	<i>5.11</i>	<i>1.14</i>	<i>6.25</i>	<i>13.00</i>	<i>5.00</i>	<i>18.00</i>	<i>13.40</i>	<i>4.00</i>	<i>17.40</i>	<i>13.25</i>	<i>1.65</i>	<i>14.90</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>302.16</b>	<b>43.84</b>	<b>346.00</b>	<b>373.63</b>	<b>55.25</b>	<b>428.88</b>	<b>396.16</b>	<b>43.35</b>	<b>439.51</b>	<b>399.53</b>	<b>40.03</b>	<b>439.56</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण</b>												
4. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
4.01 कार्यक्रम घटक	3.62	...	3.62	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
4.02 ईएपी घटक	22.42	...	22.42	15.00	...	15.00	11.00	...	11.00	17.00	...	17.00
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	26.04	...	26.04	21.00	...	21.00	16.00	...	16.00	23.00	...	23.00
5. पारिस्थितिकी कार्य बल	13.50	...	13.50	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
<b>जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण</b>	<b>39.54</b>	...	<b>39.54</b>	<b>41.00</b>	...	<b>41.00</b>	<b>36.00</b>	...	<b>36.00</b>	<b>53.00</b>	...	<b>53.00</b>
<b>राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम</b>												
6. राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (ईएपी)	116.00	...	116.00	223.98	...	223.98	341.68	...	341.68	441.98	...	441.98
7. राष्ट्रीय तटीय मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम</b>	<b>116.00</b>	...	<b>116.00</b>	<b>223.98</b>	...	<b>223.98</b>	<b>341.68</b>	...	<b>341.68</b>	<b>446.98</b>	...	<b>446.98</b>
<b>पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और सतत विकास</b>												
8. प्रदूषण उपशमन	15.60	...	15.60	20.00	...	20.00	9.60	...	9.60	21.20	...	21.20
9. घातक पदार्थों का प्रबंधन												
9.01 कार्यक्रम घटक	2.93	...	2.93	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.32	...	4.32
9.02 ईएपी घटक	12.16	...	12.16	15.00	...	15.00	31.00	...	31.00	50.00	...	50.00
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन	15.09	...	15.09	19.50	...	19.50	35.50	...	35.50	54.32	...	54.32
10. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	136.55	...	136.55	30.00	...	30.00	47.00	...	47.00	40.00	...	40.00
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	128.46	...	128.46	100.00	...	100.00	98.00	...	98.00	110.00	...	110.00
12. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	64.08	...	64.08	50.00	...	50.00	16.50	...	16.50	50.00	...	50.00
<b>जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और सतत विकास</b>	<b>359.78</b>	...	<b>359.78</b>	<b>219.50</b>	...	<b>219.50</b>	<b>206.60</b>	...	<b>206.60</b>	<b>275.52</b>	...	<b>275.52</b>
<b>पर्यावरण जागरूकता, नीति आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली</b>												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	37.11	...	37.11	51.00	...	51.00	48.00	...	48.00	60.00	...	60.00
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली	11.21	...	11.21	23.10	...	23.10	16.30	...	16.30	23.00	...	23.00
15. उत्कृष्टता के केन्द्र	19.75	...	19.75	24.50	...	24.50	21.50	...	21.50	18.00	...	18.00
16. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	10.50	...	10.50	19.00	...	19.00	13.00	...	13.00	17.50	...	17.50
17. पर्यावरण प्रभाव आकलन	1.55	...	1.55	4.10	...	4.10	4.76	...	4.76	5.40	...	5.40
18. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	12.23	...	12.23	15.47	...	15.47	15.47	...	15.47	15.81	...	15.81
<b>जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली</b>	<b>92.35</b>	...	<b>92.35</b>	<b>137.17</b>	...	<b>137.17</b>	<b>119.03</b>	...	<b>119.03</b>	<b>139.71</b>	...	<b>139.71</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>607.67</b>	...	<b>607.67</b>	<b>621.65</b>	...	<b>621.65</b>	<b>703.31</b>	...	<b>703.31</b>	<b>915.21</b>	...	<b>915.21</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
19. पशु कल्याण बोर्ड	10.86	...	10.86	11.04	...	11.04	4.99	...	4.99	2.75	...	2.75
20. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	66.50	...	66.50	70.15	...	70.15	90.15	...	90.15	74.30	...	74.30

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	9.88	...	9.88	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.24	...	10.24
22. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	8.53	...	8.53	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.40	...	18.40
23. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	9.25	...	9.25	5.00	...	5.00	6.50	...	6.50	8.15	...	8.15
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>105.02</b>	...	<b>105.02</b>	<b>114.19</b>	...	<b>114.19</b>	<b>129.64</b>	...	<b>129.64</b>	<b>113.84</b>	...	<b>113.84</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
24. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास के संस्थान	12.64	...	12.64	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	19.00	...	19.00
25. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	143.33	...	143.33	163.20	...	163.20	163.20	...	163.20	171.00	...	171.00
26. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	19.75	...	19.75	20.10	...	20.10	20.10	...	20.10	20.60	...	20.60
27. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	6.31	...	6.31	7.80	...	7.80	7.80	...	7.80	7.75	...	7.75
28. भारतीय वन्यजीव संस्थान	22.34	...	22.34	26.50	...	26.50	26.50	...	26.50	26.45	...	26.45
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>204.37</b>	...	<b>204.37</b>	<b>235.60</b>	...	<b>235.60</b>	<b>235.60</b>	...	<b>235.60</b>	<b>244.80</b>	...	<b>244.80</b>
<b>अन्य</b>												
29. जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण												
29.01 सकल बजटीय सहायता	183.54	...	183.54	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
29.02 अल्प-जल उपकरण प्राप्ति	-242.98	...	-242.98	-250.00	...	-250.00	-250.00	...	-250.00	-250.00	...	-250.00
	<i>निवल</i> -59.44	...	<i>-59.44</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) को अंतरण	...	...	...	1000.00	...	1000.00	955.74	...	955.74	1111.30	...	1111.30
31. घटाए-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से प्राप्त राशि	-244.94	...	-244.94	-1000.00	...	-1000.00	-955.74	...	-955.74	-1111.30	...	-1111.30
32. वास्तविक वसूलियां	-3.94	...	-3.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-308.32</b>	...	<b>-308.32</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>1.07</b>	...	<b>1.07</b>	<b>349.79</b>	...	<b>349.79</b>	<b>365.24</b>	...	<b>365.24</b>	<b>358.64</b>	...	<b>358.64</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>												
33. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्त पोषित)												
33.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	164.97	...	164.97	105.01	...	105.01	98.01	...	98.01	107.80	...	107.80
33.02 वन प्रबंधन का तीव्रकरण	44.50	...	44.50	50.00	...	50.00	45.44	...	45.44	50.00	...	50.00
<b>जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्त पोषित)</b>	<b>209.47</b>	...	<b>209.47</b>	<b>155.01</b>	...	<b>155.01</b>	<b>143.45</b>	...	<b>143.45</b>	<b>157.80</b>	...	<b>157.80</b>
34. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास (एनसीईएफ से वित्त पोषित)												
34.01 बाघ परियोजना	154.85	...	154.85	375.00	...	375.00	365.00	...	365.00	345.00	...	345.00
34.02 हाथी परियोजना	12.08	...	12.08	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	27.50	...	27.50
34.03 वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास	61.01	...	61.01	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	150.00	...	150.00
<b>जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास (एनसीईएफ से वित्त पोषित)</b>	<b>227.94</b>	...	<b>227.94</b>	<b>500.00</b>	...	<b>500.00</b>	<b>475.00</b>	...	<b>475.00</b>	<b>522.50</b>	...	<b>522.50</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
35. राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्त पोषित)												
35.01 मूंगा एवं मैंग्रोव का संरक्षण	5.17	...	5.17	18.01	...	18.01	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
35.02 जैव वित्त संरक्षण	17.85	...	17.85	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	30.21	...	30.21
35.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	39.23	...	39.23	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
जोड़- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्त पोषित)	62.25	...	62.25	100.01	...	100.01	100.00	...	100.00	108.21	...	108.21
36. राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम												
36.01 एनसीईएफ से वित्त पोषित	61.73	...	61.73	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00	140.50	...	140.50
36.02 ईएपी घटक	4.99	...	4.99	25.00	...	25.00	21.00	...	21.00	33.00	...	33.00
जोड़- राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम	66.72	...	66.72	95.00	...	95.00	101.00	...	101.00	173.50	...	173.50
<b>जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>	<b>566.38</b>	...	<b>566.38</b>	<b>850.02</b>	...	<b>850.02</b>	<b>819.45</b>	...	<b>819.45</b>	<b>962.01</b>	...	<b>962.01</b>
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>566.38</b>	...	<b>566.38</b>	<b>850.02</b>	...	<b>850.02</b>	<b>819.45</b>	...	<b>819.45</b>	<b>962.01</b>	...	<b>962.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1477.28</b>	<b>43.84</b>	<b>1521.12</b>	<b>2195.09</b>	<b>55.25</b>	<b>2250.34</b>	<b>2284.16</b>	<b>43.35</b>	<b>2327.51</b>	<b>2635.39</b>	<b>40.03</b>	<b>2675.42</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. वानिकी और वन्य जीवन	382.46	...	382.46	409.70	...	409.70	390.85	...	390.85	438.48	...	438.48
2. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	...	...	...	1000.00	...	1000.00	955.74	...	955.74	1111.30	...	1111.30
3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	595.53	...	595.53	615.15	...	615.15	760.66	...	760.66	932.52	...	932.52
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	57.31	...	57.31	73.48	...	73.48	79.71	...	79.71	83.59	...	83.59
5. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	3.68	3.68	...	14.25	14.25	...	12.30	12.30	...	13.33	13.33
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	40.16	40.16	...	36.00	36.00	...	26.05	26.05	...	26.70	26.70
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1035.30</b>	<b>43.84</b>	<b>1079.14</b>	<b>2098.33</b>	<b>50.25</b>	<b>2148.58</b>	<b>2186.96</b>	<b>38.35</b>	<b>2225.31</b>	<b>2565.89</b>	<b>40.03</b>	<b>2605.92</b>
<b>अन्य</b>												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	167.50	...	167.50	162.55	...	162.55	131.75	...	131.75
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	441.56	...	441.56	-70.74	...	-70.74	-65.35	...	-65.35	-62.25	...	-62.25
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.42	...	0.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>441.98</b>	...	<b>441.98</b>	<b>96.76</b>	<b>5.00</b>	<b>101.76</b>	<b>97.20</b>	<b>5.00</b>	<b>102.20</b>	<b>69.50</b>	...	<b>69.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1477.28</b>	<b>43.84</b>	<b>1521.12</b>	<b>2195.09</b>	<b>55.25</b>	<b>2250.34</b>	<b>2284.16</b>	<b>43.35</b>	<b>2327.51</b>	<b>2635.39</b>	<b>40.03</b>	<b>2675.42</b>

4 और 5. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और

क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर गिरावट के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

1 - 3. सचिवालय: यह प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सचिवालय व्यय के लिए है।

6 और 7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय तटीय विनियम जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसके तहत मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा का सुनिश्चित करना होता है और वहनीय विकास को बढ़ावा देना होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा द्वीप संरक्षण जोन (आईपीजेड) अधिसूचना भी क्रियान्वित की जा रही है। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

8 - 12. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : मंत्रालय, पर्यावरण के संरक्षण तथा सतत विकास को प्राथमिकता देता है। अम्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्त्वे को इस अम्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13-18. पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करता है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करता है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े पैमाने पर पणधारियों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमुख हैं। बर्गिकी क्षमता निर्माण, जैव-सुरक्षा और वानस्पतिक उद्यानों आदि के लिए अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान की जाती है।

19 - 23. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय पांच निकायों - भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यू वीआई), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सहायता देता है।

24 - 28. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामशः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआर आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

29. जल-प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण : जल (प्रदूषण-निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत उपकर लगाया जाता है और इसे राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संग्रहित किया जाता है। संग्रहित उपकर का 80% भाग राज्यों को दिया जाता है ताकि उनके प्रदूषण-नियंत्रण उपायों और कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जा सके।

33. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन : वन क्षेत्र में वृद्धि और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामशः हरित भारत मिशन और वन प्रबंधन का तीव्रीकरण। इन स्कीमों में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पारिस्थितिकी प्रणाली सेवा सुधार परियोजना के लिए 0.50 करोड़ रुपये का ईएपी घटक भी है।

34. वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास : देश के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें हैं; नामशः वाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास।

35. प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली का संरक्षण : देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय प्रवाल, कच्छद वनस्पति, जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है। जैव-विविधता के संरक्षण और ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

36. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) : एनआरसीपी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के प्रदूषण भार में कमी करके नदियों के प्रदूषित भागों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2017-18 में, एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्य 12 नदियों के किनारे बसे 17 शहरों में किए जाएंगे।